न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 41 / 2020

तेजसिंह पुत्र ग्यासी जाति माली निवासी छापर मोहल्ला कस्बा कुम्हेर,तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1–दीपचन्द पुत्र गिर्राज जाति माली निवासी छापर मोहल्ला कस्बा कुम्हेर तह0कुम्हेर
..... असल अप्रार्थी

2– भीमसिंह पुत्र कलुआ
3– हरभजन पुत्र कलुआ
4– मोती वेवा पुत्र कलुआ
} जाति माली निवासी छापर मोहल्ला कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर ।

.....तरतीवी अप्रार्थी0 / प्रति0

6– गोविन्दसिंह पुत्र ग्यासी
7– बोदन पुत्र टैनी
8– हरिचन्द पुत्र टैनी
} जाति माली निवासी छापर मोहल्ला कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।

.....तरतीवी अप्रार्थी0 / वादी0

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 235 आर.टी.ए.विरूद्व उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर श्रीमति सुशीला मीणा दावा उनवानी तेजसिंह बनाम दीपचन्द वगै0 अन्तर्गतधारा 88–89–188 आर. टी.ए.प्रकरण सं0 165 / 2016 एवं प्रार्थना पत्र सं0 141 / 2016 अन्तर्गतधारा 212 आर0टी0ए0।

निर्णय **दिनांक 28.10.2020**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी सं0 6 लगायत 8 द्वारा एक दावा उनवानी तेजसिंह वगै0 बनाम दीपचंद वगै0 अन्तर्गतधारा 88.89.188 आर0टी0एक्ट मय प्रार्थना

जिला कलक्टर

पत्र 212 आर0टी0ए0 उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है । न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 में दिनांक 17.11.2016 को विवादित आराजी की बावत राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है । दिनांक 24.07.2017 को असल अप्रार्थी दीपचन्द तहत न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो गया और न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम तारीख 30.08.202017 नियत की गई । दिनांक 30.08.2017 के बाद कोई तारीख पेशी पत्रावली पर नहीं दी गई और सीधे ही दिनांक 22.01.2020 नियत की गई और अब दिनांक 11.09.2020 को असल अप्रार्थी सं01 द्वारा जबाव दावा एवं जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, और न्यायालय ने पत्रावली को बहस हेतु तारीख पेशी 29.09.2020 में लगा दिया है । दिनांक 29.09.2020 को प्रार्थी के अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 09 जा0दी0 का प्रस्तुत किया जिस पर आगामी तारीख पेशी 05.10.2020 नियत करदी गई । लेकिन दिनांक 05.10.2020 को क्या कार्यवाही होनी है, पत्रावली की आदेशिका पर अंकन नहीं किया गया । असल अप्रार्थी द्वारा उसी रोज बहस स्थगन के लिए दबाव बनाया जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में यह कहा कि आदेश 08 नियम 09 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र का कया औचित्य है इसको तो मैं खारिज करूंगी और स्थगन पर बहस सुनूंगी । पीठासीन अधिकारी प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 09 जा0दी0 का निस्तारण न कर कानूनी प्रकिया को अपनाये बिना प्रकरण का निस्तारण करने पर अमादा हैं तथा उसी रोज असल अप्रार्थी एवं उसके पुत्र के द्वारा न्यायालय परिसर में खुले में प्रार्थी के सामने कहा है कि तुम चाहे जो करलो प्रकरण का फैसला तो मेरे पक्ष में ही होकर रहेगा और मेरी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है । इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

इस प्रकार प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा उनवानी तेजसिंह वगै0 बनाम दीपचन्द वगै0 प्र0सं0 165/2016 मय प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 संख्या 141/2016 को उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के न्यायालय से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी असल सं01 जरिये अभिभाषक उपस्थित आए और अपना जबाव पेश किया । उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी भी शामिल मिसिल की गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के न्यायालय में विचाराधीन दावा उनवानी तेजसिंह वगै0 बनाम दीपचन्द वगै0 मय प्रार्थना पत्र 212 आ0आर0टी0 विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 में तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2016 को वाद ग्रस्त आराजी पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। दिनांक 22.2017 के बाद पत्रावली में कोई तारीख पेशी नहीं दी गई और सीधे ही दिनांक 01.2020 नियत कर दी गई । दिनांक 11.09.2020 को असल अप्रार्थी सं01 के द्वारा जबाव दावा व जबाव प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा पत्रावली में दिनांक 29.09.2020 की तारीख पेशी वास्ते बहस नियत करदी गई किन्तु दिनांक 29.09.2020 को प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 08 सीपीसी न्यायालय में पेश किया जिस पर आगामी तारीख पेशी 05.10.2020 नियत की गई लेकिन दिनांक 05.10.2020 को क्या कार्यवाही होनी है,उसका कोई उल्लेख पत्रावली पर नहीं किया गया । प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि पीठासीन अधिकारी ने खुले न्यायालय में कहा है कि प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 08 सीपीसी का कोई औचित्य नहीं है,यह तो खारिज होगा। पीठासीन अधिकारी बिना विधिक प्रकिया अपनाये प्रकरण का निस्तारण करने पर अमादा है । अप्रार्थी सं01 की पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ हो गई है इस बावत अप्रार्थी सं01 व उसके पुत्र ने न्यायालय परिसर में प्रार्थी को खुले आम धमकी दी है कि प्रकरण का निस्तारण उनके ही पक्ष में होगा । इस कारण उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है । प्रकरण को किसी अन्य सक्षम अदालत में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन करते हुए प्राथी के अभिभाषक ने अपनी बहस पूर्ण की ।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कतई स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुकदमे को विलम्बित करने के उद्देश्य से लगाया है । न्यायालय में दावा उनवानी तेजसिंह बनाम दीपचंद वगै0 मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 वर्ष 2016 से विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी ने दिनांक 17.11.2016 से एक पक्षीय स्थगन ले रखा है । इस कारण प्रार्थी स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस नहीं होने देना चाहता है । अप्रार्थी व उसके पुत्र ने प्रार्थी को किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दी है । प्रार्थी के कथन मनगढंत व असत्य हैं। प्रार्थी प्रकरण को अकारण लम्बित करना चाहता है । प्रार्थी का एक मात्र उद्देश्य स्थगन आदेश को यथावत रखना है। इस कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों का गौर किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होती हो । प्रार्थी की मंशा स्थगन आदेश के कारण विचाराधीन प्रकरण को लम्बित किये जाने की प्रतीत होती है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्राथी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को प्रषित की जावे ।
निर्णय आज दिनांक 28–10–2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर